राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

मुकदमा नं. 13/2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

बयान

राज.भू. राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0थल बनाम श्री श्योराम पुत्र बोदू

जाति जाट नि. ग्राम थल

निर्णय दिनांकः– 10.03.2022

पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर मौखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा हटा लेने हेतु निवेदन किया। अतः मामला निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने ग्राम थल के आराजी खसरा नंबर 370 किस्म बंजर 1, बा.1 रकबा 2–10 बीघा भूमि पर चना की फसल काश्त कर कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा हटा लेने हेतु निवेदन किया। अतः मामला निर्णित किया जाता है

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम थल के आराजी खसरा नंबर 370 किस्म बंजर 1, बा.1 रकबा 2–10 बीघा से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.55 का 50 गुणा 78/–रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

वर्ष 2021-22 रा.ले.सं. 4 के पृष्ठ संख्या 89 पर रु. 78/- की मांग कायमी की गई। 15/3/22 तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
रुपनगढ(अजमेर)

Scanned by CamScanner